Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2025 E-Journal, Volume I, Issue XLIX, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

कृषि क्षेत्र के विकास में भूमि सुधार का योगदान

श्रीमती सुमन भवर* डॉ. नीमा चुण्डावत**

* शोधार्थी, भूपाल नोबल्स युनिवार्सिटी, उदयपुर (राज.) भारत
** शोध निर्देशिका (अर्थशास्त्र) भूपाल नोबल्स युनिवार्सिटी, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – आजादी के पूर्व भारत में विभिन्न प्रकार की भूमि व्यवस्था पाई जाती थी जिसके कारण कृषि और किसानो की दयनीय स्थिति होने से भारत में विभिन्न प्रकार की व्यवस्था पाई जाती थी जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था,महालवाड़ी व्यवस्था, जमींदार प्रथा जिसके अंतर्गत जमीदारों द्वारा कृषकों से भूमि कर एकत्रित किया जाता था जमीदार कृषको और राज्यों के मध्य मध्यस्तों का काम करते थे सरकार का कुल आय में भाग जो जमीदार द्वारा एकत्रित किया जाता था उसका 10 से 11 प्रतिशत भाग सरकार के पास जाता शेष भाग जमीदारों को दिया जाता था जिससे उनका गुजारा कर सके।
शब्द कुंजी –किसानो को भूमि सम्बंधित अधिकारों की सुरक्षा,भूमि सुधार कार्यक्रम, रोजगार में वृद्धि।

प्रस्तावना – आजादी के पश्चात भारत में कृषि से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में सुधार हुआ भारत में तीव्र गति से कृषि को आगे बढ़ाना अत्यंत आवश्यक था महालवाड़ी व्यवस्था, जमीदार व्यवस्था और रेयतवाडी व्यवस्था में ऐसा अनुमान लगाया गया कि कृषि क्षेत्र का 52% भाग रेयतवाडी व्यवस्था में 40: भाग जमीदार व्यवस्था में शेष महालवाड़ी व्यवस्था का भाग था इस व्यवस्था में सबसे अधिक शोषण कृषकों का जमीदारों द्वारा किया जाता था क्योंकि जमीदार व्यवस्था को असीमित अधिकार दिए गए थे।

भूमि सुधार का अर्थ – भूमि सुधार के अंतर्गत वे सभी कार्य शामिल किये जाते है जिनके द्वारा भूमि का अधिकतम उपयोग करके उत्पादन बडाने में सहायता मिलती है।

प्रोफेसर गुन्नार मिर्डल के अनुसार 'भूमि सुधारों का अर्थ व्यक्ति और भूमि के सम्बन्ध तथा संस्थागत परिवर्तन से है'।

प्रो.सैम्युलयसन ने कहा है कि –'सफल भूमी सुधार के कार्यक्रमों ने अनेक देशों में मिट्टी को सोना में बदल दिया है'।

आजादी के पूर्व भारत में विभिन्न प्रकार की भूमि व्यवस्था पायी जाती थी, जैसे –रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, जमीदार प्रथा आदि।

रैयतवाड़ी व्यवस्था – रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण तमिलनाडु,महाराष्ट्र, बरार,पूर्व पंजाब,असम में लागू की गई थी। इसमें काश्तकारी भूमि का स्वामी होता जब तक वह भूमि पर राज्य को नियमित रूप से कर देता रहता था,तब तक उसे बेदखल नहीं किया जाता। उसे भूमि में काम लेने,बेचने,हस्तांस्तरीत करने या किसी अन्य प्रकार से उपयोग में लाने का अधिकार था। रैयतवाड़ी प्रणाली में स्वामित्व के आधार पर अलग–अलग मालगुजारी तय की जाती थी। मध्य–प्रदेश मे 20 वर्ष, महाराष्ट्र में 30 वर्ष तथा तमिलनाडु में 40 वर्ष के लिए तय की जाती थी।

महालवाड़ी व्यवस्था – महालवाड़ी व्यवस्था विलियम बैंटिक द्वारा आगरा और अवध में लागू कर दिया गया। इस व्यवस्था मे मालगुजारी की दृष्टि से पूरा गाँव ही एक संपूर्ण इकाई माना जाता था। जो भूमि गाँव में खाली होती थी उस पर गांव के समाज का अधिकार होता था। गांव का कोटवार मालगुजारी एकत्रित करता था जिसके लिए उसको होता कमिशन मिलता था। सहभागी को अपनी इच्छानुसार भूमि को प्रयोग में लाने का अधिकार था। यदि सहभागी उस भूमि को छोड़ देता था तो उस पर गांव के समाज का अधिकार माना जाता था।

जमीदारी प्रथा – प्रथम ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन काल में प्रारम्भ हुआ था। ईस्ट इंडिया कम्पनी के गर्वनर कार्लवालिस ने आय बड़ाने के उद्देश्य से उसका ही स्थायी बंदोबस्त कर दिया था। इस प्रणाली में जमीदार को भूमी का स्वामि माना जाता था भूमि संबंधी सभी अधिकार उसी के हाथ में होते थे। सरकार से कृषक का सीधा संबंध नहीं होता था। लेकिन एक मध्यम वर्ग के माध्यम से होता था जिसे जमीदारी कहते थे।

स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार– स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार के कई कार्यक्रम लागू किए गये, उनका मुख्य उद्देश्य कृषि के विकास के साथ–साथ कृषकों एवं भूमिहीन श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। इस उदेश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार ने भूमि सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ किये हैं जैसे मध्यस्थों की समाप्ति, काश्तकारी सुधार,कृषि का पुनर्गठन, जोतों की सीमा का निर्धारण।

मध्यस्थों की समाप्ति– स्वतंत्रता के पश्चात् सरकार ने जमीदारी, जागीरदार, इनामदार,आदि सभी मध्यस्थो की समाप्ति कर भूमि पर कृषकों को भू–स्वामी संबंधी अधिकार प्रदान कर दिये हैं। देश की 40 प्रतिशत भूमि पर मध्यस्थ फैले थे।

काश्तकारी सुधार– काश्तकारी सुधार में लगान का नियमन किया गया। काश्तकारों एवं बटाईदारों को उपज का आधे से अधिक भाग लगान के रूप में देना पड़ता था। कई राज्यो ने छोटी जोतों पर लगान को समाप्त किया गया।

कृषि का पुनर्गठन– सरकार ने कृषि पुनर्गठन हेतु अनेक संस्थागत परिवर्तन किये है, ताकि समाजवादी समाज की स्थापना हो कृषि क्षेत्र में सुधार,विकास के लिए नयी तकनीकी और तरीको को अपनाया गया जिससे कृषि का उत्पादन बड़े किसानों की आय मे बड़ोतरी हो यह प्रक्रिया कृषि के

क्षेत्र मे स्थिरता को बड़ावा देने के लिए की जाती है।

अध्ययन का उद्देश्य – प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रो के विकास में वृधि करना

शोध विधि – प्रस्तुत शोध में प्राथमिक एवं दितियक स्तोतो का अध्ययन किया गया शोध अध्ययन में पुस्तके,पत्र –पत्रिकाओ, आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित और अप्रकाशित स्त्रोतों का उपयोग कर निष्कर्ष निकाले गए

तालिका क्रमांक 01: कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का अनुपात

भूमि का अनुपात	जिला		कुल
	बड़वानी	धार	
1 एकड़ तक	8 (10%)	12 (15%)	20 (12.5%)
1–2 एकड़	22 (27.5%)	25 (31.25%)	47 (29.37%)
2–4 एकड़	24 (30%)	19 (23.75%)	43 (26.87%)
4 एकड़ से अधिक	21 (26.25%)	20 (25%)	41 (25.63%)
किराए की जमीन	5 (6.25%)	4 (5%)	9 (5.63%)

सर्वेक्षण से प्राप्त स्त्रोत– तालिका क्रमांक 01 से यह स्पष्ट है कि लगभग 12.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास एक एकड़ तक भूमि है, लगभग 29.37 प्रतिशत के पास 1 से 1 एकड़ के बीच भूमि है, 26.87 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास 2 एकड़ से 4 एकड़ के बीच भूमि है, 25.63 प्रतिशत के पास 4 एकड़ से अधिक भूमि है। 160 उत्तरदाताओं में से 5.63 प्रतिशत किराए की जमीन पर काम करते है। आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं के पास स्वयं की लगभग 1 से 4 एकड़ कृषि भूमि है।

उपसंहार– भारत में पिछले 70 वर्षो में भूमि सुधार के कई कार्यक्रम प्रारंभ किये गए जिसके अंतर्गत जमीदार उन्नमूलन,अधिकतम जोत सीमा निर्धारण, चकबंदी, लगान एवं पट्टे की सुरक्षा की व्यवस्था की गयी इससे भूमि सुधार की और प्रशंसनीय प्रगति हुई।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. जयप्रकाश मिश्र, 2003, कृषि अर्थशास्त्र साहित्य भवन पब्लिकेशन ,आगरा पेज न.171–176
2. डॉ .पी .डी . माहेश्वरी एवं डॉ . शिलचन्द्र गुप्ता ,भारतीय आर्थिक निती, 2006 , कैलाश पुस्तक सदन भोपाल, पेज न. 221–223
3. डॉ. अनुपम गोयल भारतीय अर्थव्यवस्था,एस.बी. पीडी.,(2019–20), पब्लिकेशन ,आगरा मथुरा पेज न .77
4. डॉ.रितु तिवारी, भारतीय अर्थव्यवस्था,(2021), मध्यप्रदेश हिंदी ग्रन्थ अकादमी भोपाल, पेज न. 54–58

****